न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्याः– 884/2020

प्रार्थीया **बनाम** **अप्रार्थी**

खमा देवी पत्नी श्री किशन
जाति माली निवासी बालरवा
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

तहसीलदार तिंवरी

उपस्थित–

प्रार्थी :–अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

अप्रार्थी :– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:निर्णयः–

दिनांक 2/3/2020

प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः– प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 193 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 205 रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 77 बीघा 02 बिस्वा ग्राम जुगतसिंहनगर, पटवार हल्का बालरवा तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम खमा पत्नी श्रीकिशन दर्ज हैं लेकिन प्रार्थीया का वास्तविक नाम खमा देवी हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश खमा दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि में खमा देवी नाम दर्ज हैं उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीया को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थीया अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने केसीसी लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थीया ने मजबुरन यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 193 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 3

सहायक कलेक्टर, ओसियां

कुल रकबा 77 बीघा 02 बिस्वा ग्राम जुगतसिंहनगर, पटवार हल्का बालरवा तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में प्रार्थीया का खमा पत्नी श्रीकिशन के स्थान पर खमा देवी पत्नी श्रीकिशन दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में खमा है जो गलत है तथा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान इत्यादि में नाम खमादेवी है जो सही है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 193 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 77 बीघा 02 बिस्वा ग्राम जुगतसिंहनगर, पटवार हल्का बालरवा तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम खमा के स्थान पर खमा देवी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 2/3/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner